

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1). 2014 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुवसं / 10685

दिनांक 22-9-2015

बैठक सूचना

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के नियम भाग-11 4,5 एवं 6 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु पृथक केंडर का गठन किये जाने के सम्बन्ध इस कार्यालय के आदेश समसंख्यक 10542-58 दिनांक 21.09.2015 द्वारा आयोजित रखी गयी बैठक दिनांक 24.09.2015 को अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

(वीरेन्द्र सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) 2014 / कार्मिका / प्रमुवसं / दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.) राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर।
3. नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक उदयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक बीकानेर / अजमेर / कोटा / जयपुर / भरतपुर / जोधपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जोधपुर / (वन्य जीव) उदयपुर / (वन्य जीव) भरतपुर / (वन्य जीव) कोटा / (वन्य जीव) जयपुर / आर.वी.पी.कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

(आर.के.खैरवा)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित-प्रस्थापना)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर